

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग

क्रमांक पं. 1(34)साप्र/5/2019पार्ट-3

जयपुर, दिनांक:


14.8.19

आदेश

राजस्थान राज्य के परीक्षार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु मुम्बई जाने पर राजस्थान भवन, वाशी-नवी मुम्बई में उपलब्धता के आधार पर रियायती दर (अ)(1) पर आवास/भोजनादि की सुविधा एतद् द्वारा निम्नांकित शर्तों पर उपलब्ध करायी जायेगी:-


1. परीक्षार्थी द्वारा राजस्थान के निवासी होने का प्रमाण प्रबंधक को उपलब्ध कराया जायेगा। (मूल निवास/आधार कार्ड/राशन कार्ड/मतदाता प्रमाण पत्र इत्यादि)
2. परीक्षार्थी द्वारा प्रतियोगी परीक्षा के प्रवेश पत्र की छायाप्रति प्रबंधक को उपलब्ध करायी जायेगी।
3. परीक्षार्थी को परीक्षा तिथि से एक दिवस पूर्व एवं एक दिवस पश्चात् तक ही आवास/भोजनादि की सुविधा देय होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

  
(राजेन्द्र सिंह शेखावत)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त सचिव (जीबी), मुख्यमंत्री कार्यालय को उनके आई.डी. क्रमांक एफ 19002963 दिनांक 09.08.2019 के क्रम में।
2. निजी सचिव, वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
6. प्रबंधक, राजस्थान भवन, वाशी, नवी मुम्बई।
7. रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त शासन सचिव